5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/3251/I/15

जयप्रकाश पुत्र मुरारीलाल शर्मा , निवासी ग्राम रघुनाथपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर म.प्र. .... आवेदक

बनाम

1. दुल्ली पुत्र मदन सहर निवासी ग्राम सुमरेरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय तहसीलदार तहसील वीरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–12/2014–15 सीमाकंन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 से परिवेदित होकर निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक दुल्ली पुत्र मदन द्वारा ग्राम सुमरेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 659 रकवा 0.993 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 692/1 रकवा 0.418 हेक्टर का सीमाकंन कराने हेतु तहसीलदार वीरपुर के समक्ष आवेदन दिनांक 23.06.2015को प्रस्तुत किया तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त वीरपुर एवं मौजा पटवारी को सीमाकंन करने हेतु आदेशित किया ।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमान्त काश्तकारों को कोई सूचना पत्र, इश्तहार जारी नही किया सीमाकंन हेतु गठित दल द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निग0 3251–एक/15 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादोन द्वारा तहसीलदार वीरपुर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 42/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.9.15 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सरांश इस प्रकार है कि अनावेदक दुल्ली पुत्र मदन सहर निवासी ग्राम सुमरेरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 659 रकवा 0.993 है0 एवं सर्वे कमांक 692/1 रकवा 0.418 है0 का सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार वीरपुर को आवेदन दिनांक 23.6.15 को प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त वीरपुर एव मौजा पटवारी को सीमांकन करने हेतु आदेशित किया। सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा दिनांक 29.6.15 को स्थल पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की गैर मौजदगी में संपन्न की गई। उसी के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्त द्वारा अपने तर्क में कहा है कि	

राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमान्त कास्तकारों को कोई सूचना पत्र इश्तहार जारी नहीं किया, सीमांकन हेतु गठित दल द्वारा दिनांक 29.6.15 को स्थल पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की गैर मौजदगी में संपन्न की गई। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक की खडी फसल में सीमांकन किया गया जिसके कारण फसल को नुकसान हुआ है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अन्त में निवेदन किया गया है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.9.15 निरस्त कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की उपस्थिति में की जावे।

4—अनावेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा शीघ्रअ सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। उनके निवेदन पर प्रकरण आज सुनवाई के लिये प्रस्तुत हुआ जिसमें आवेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार महोदय द्वारा जो सीमांकन दल गठित किया है उनके द्वारा विधि प्रावधानों के अनुसार सीमांकन किया है । तहसीलदार का आदेश उचित एवं सही है उसी को स्थिर रखा जावे।

5— आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण तथा उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया जो उनके द्वारा निगरानी मेमों उल्लेख किया गया है। उभयपक्ष

अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि पटवारी द्वारा जो पंचनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह सिद्व होता है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक के पीठ पीछे हुई है और उसको सूचना नहीं है। अतः दोनों अधिवक्ता द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि प्रकरण में पुनः सीमाकंन की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को से में सहमत हूॅ और निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही की जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। उभयपक्ष सूचित हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य